



उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 5012/2026

श्रीमती सुलोचना एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- विमलेश कुमार कश्यप

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 10

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विरोधी पक्षकार संख्या-1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार संख्या-5 को सूचना जारी किए जाने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से विरोधी पक्षकारों को परमादेश रिट जारी करते हुए यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें, उनके परिवार के सदस्यों को परेशान न करें तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं तथा उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दिनांक 20.05.2026 को आर्य समाज, सेक्टर-एच, हर्ष विहार, पुरनिया, लखनऊ में एक-दूसरे से विवाह कर लिया है। विवाह के प्रमाण-पत्र की एक प्रति इस याचिका के साथ संलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न की गई है। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या-1 ने अपना विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया है, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न की गई है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या-2 ने अपना चालक अनुज्ञप्ति पत्र संलग्न किया है, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक संख्या-3 में संलग्न की गई है। उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। यह कथन किया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या-4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इस कारण वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने शपथपत्र द्वारा विधिवत समर्थित रिट याचिका में कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई है।

5. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2006 (5) SCC 475 के वाद में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के प्रस्तर-17 में निम्नवत् टिप्पणी की है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"17. यह एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश है और जैसे ही कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर्जातीय अथवा अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम इतना कर सकते हैं कि अपने पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध विच्छेद कर लें, किन्तु वे धमकी नहीं दे सकते, न ही हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं अथवा ऐसा करने के लिए किसी को उकसा सकते हैं और न ही ऐसे अंतर्जातीय अथवा अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। अतः, हम यह निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी अन्य बालिग महिला या पुरुष के साथ अंतर्जातीय अथवा अंतरधार्मिक विवाह करता/करती है, तो उस दंपति को किसी भी व्यक्ति द्वारा परेशान न किया जाए और न ही उन्हें किसी प्रकार की धमकी दी जाए अथवा उनके विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य किया जाए। साथ ही, जो कोई ऐसी धमकी देता है, उन्हें परेशान करता है अथवा स्वयं या अपने उकसावे पर उनके विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य करता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा दांडिक कार्यवाही संस्थित की जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई भी की जाए।"

6. याचिकाकर्तागण ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किए जाने की भी प्रार्थना की है, जो उन्हें गरिमा के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति प्रदान करता है।

7. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि विरोधी पक्षकार किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन एवं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त विषय के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व से पंजीकृत है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा।
9. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने न तो याचिकाकर्ताओं की आयु के संबंध में कोई विचार किया है और न ही कथित विवाह की सत्यता/वैधता का न्यायनिर्णयन किया है।
10. याचिकाकर्ता आज से दो माह के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017" के अंतर्गत अपने विवाह का पंजीकरण कराएंगे।
11. संबंधित विवाह पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विधि के अनुसार याचिकाकर्तागण के विवाह के पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करे।

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

जून 2, 2026

पछेरे/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।